

जनपद-संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 06.07.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 156 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 156 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 586/2025 धारा 69 बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता लवकुश पुत्र बुधई निवासी जनता मार्ग बजरंग नगर कसैना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 05.07.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. लवकुश पुत्र बुधई निवासी जनता मार्ग बजरंग नगर कसैना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 बलराम यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती से दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 581/2025 धारा 64(1),333,75(1),352,351(3) बीएनएस व 3(2)(v),3(2)(va),3(1)(w)(1),3(1)(ध) एससीएसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में अभियुक्त नाम पता आशीष जायसवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मोहल्ला माली टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 04.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म व मारपीट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अभियुक्त का नाम व पता-

01- आशीष जायसवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी मोहल्ला माली टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अवधेश सिंह, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 सतवंत सिंह ।